

जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिये 'मुख्यमंत्री जीएसटी बलि पुरस्कार योजना-2023' लागू

चर्चा में क्यों?

- 27 सितंबर, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिये 'मुख्यमंत्री जीएसटी बलि पुरस्कार योजना-2023' लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि में जारी हुए बलि एवं इन्वॉइस पर लागू होगी।

प्रमुख बंदि

- योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एकट के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल अथवा ऐप पर अपलोड करने के उपरांत लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद पुरस्कार के रूप में देय होगी।
- यह योजना राज्य स्तर पर बलि पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का बंपर पुरस्कार दिया जाएगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपए तक के पुरस्कार चयनित व्यापारियों को दिये जाएंगे।
- मासिक पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तथा 50 हजार रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- वार्षिक बंपर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- प्रत्येक ज़िले को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये अतिरिक्त रूप में 50 ज़िले 50 पुरस्कार का प्रावधान है। कुल 1 हजार सांत्वना पुरस्कार भी दिये जाएंगे।
- मासिक पुरस्कार हेतु उपभोक्ता माह समाप्ति के बाद 10 दिनों के भीतर बलि अपलोड कर सकेगा।